रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुल 20, 1940
No. 81] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सं. 3-260/2019-एएचटी (आरजीएम)/आर1.—1.1.2012 की पशुधन संगणना के अनुसार देश में बोवाइन की आबादी 300 मिलियन है, इसमें 191 मिलियन गोपशु (गाय) और 108.7 मिलियन भैंसे हैं। गोपशु और भैंस के आनुवंशिक संसाधनों का निर्माण गोपशु की 43 और भैसों की 16 नस्लों द्वारा होता है। बोवाइन आबादी में 216 मिलियन मादा और 84 मिलियन नर हैं । 5.2 मिलियन गोपशु पशुधन संगणना-2012 के अनुसार परिव्यक्त है । 2017-18 के दौरान 176.5 (एमएमटी) के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के साथ भारत दुग्ध उत्पादन में वैश्विक लीडर है।

1.1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि, राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठायेगा, और गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों के वध को प्रतिबंधित करेगा।

इस क्षेत्र की विशाल क्षमता को देखते हुए भारत सरकार एक सर्वोच्च परामर्शी निकाय **राष्ट्रीय कामधेनु आयोग** का गठन करती है।

2. उद्देश्य:

2.1 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन गाय और उसकी संतति के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए, गायों के वध और/अथवा क्रूरता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के उचित कार्यान्वयन और गोपशु विकास कार्यक्रम को दिशानिर्देश देने के लिए किया जायेगा।

2.2 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नीति का निर्माण करने और गोपशु से सम्बंधित योजनाओं के कार्यान्वयन को दिशानिर्देश देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी निकाय होगा जिससे कि लघु और सीमांत किसानों को आजीवका सृजन पर अधिक जोर दिया जा सके।

2.3 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग समर्थकारी वातावरण उपलब्ध करायेगा, नीतिगत ढांचा विकसित करेगा और निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यबद्ध दिशा/निर्देशों को स्वरूप प्रदान करेगा:-

2.3.1 भारत में गाय के आनुवंशिक संसाधनों का सतत विकास और आनुवंशिक उन्नयन

2.3.2 गाय की स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास तथा देश में गायों का समुन्नत प्रबंधन।

2.3.3 समग्र देश में संवर्धित उत्पादन और उत्पादकता, जिससे कृषि आय में वृद्धि होगी और डेयरी किसानों के लिए बेहतर जीवन प्राप्त होगा।

2.3.4 देश में डेयरी सहकारिताओं, पशुधन विकास एजेंसियों, फार्म उत्पादक कंपनियों और डेयरी उद्योगों के हित की सुरक्षा और बढ़ावा देना।

2.3.5 देश में गाय और इसकी संततियों के कल्याण के लिए, गायों तथा उनकी संततियों की सुरक्षा और विकास के लिए गौशालाओं, गोसदनों तथा गोबाड़ों (पिंजरा पोलों) अन्य संगठनों/संस्थानों के उचित कार्यकरण के लिए कानूनों का कारगर कार्यान्वयन।

3. कार्य

3.1 गायों और उनकी संततियों के संरक्षण, सुरक्षा, विकास और कल्याण से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करना।

3.2 देश में गायों के सतत विकास के लिए उचित योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सहायता देना और गाय धन के इष्टतम आर्थिक उपयोग के लिए उपाए सुझाना।

3.3 उन मौजूदा कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों (केंद्र और राज्य) की समीक्षा करना जो गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास से संबंधित है और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना तथा देश में गाय और उनकी सन्तति के कल्याण के लिए कार्य करना।

3.4 जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार करना और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को न्यूनतम करने हेतु किसानों द्वारा जैविक खाद तैयार करने हेतु गाय के गोबर और मूत्र के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन योजनाओं सहित उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3.5 स्वदेशी गायों की नस्लों के विकास में हित रखने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और एकीकरण स्थापित करना।

3.6 गौशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों को तकनीकी निविष्टी प्रदान करके देश में त्याग दी गई गायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान करना।

3.7 सूखे अनावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उक्त प्रयोजनों के लिए पशु कैंप स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन करना और ऐसे प्रभावित क्षेत्र से गायों के स्थानान्तरण और तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाना।

3.8 चरागाह और गौचर विकसित करने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं या अन्य निकायों चाहे निजी हो या सार्वजनिक हों, के साथ सहयोग से चरागाह और गाय चराने के लिए भूमि विकसित करना।

3.9 स्वदेशी गायों की नस्लों इसके दूध और संबंधित दूध उत्पादों के महत्व के बारे में जानकारी देना तथा ड्राफ्ट भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग करना।

3.10 **अनुसंधान और विकास:** गाय के प्रजनन और पालन जैविक खाद, वायो गैस, आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे केंद्रीय/राज्य सरकार के पशु चिकित्सा, पशुविज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या विभाग अथवा संगठन के साथ सहयोग में कार्य करना और औषधीय प्रयोजनों के लिए गाय के बायोजेनिक उत्पादों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा चलाई जा रही भारतीय औषधि पद्धति संबंधी ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं के साथ सहयोग करना।

3.11 किसानों के द्वार पर और उद्यमियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन प्रक्रियाओं का ट्रांसमिशन और अनुप्रयोग सुनिश्चित करना।

3.12 इस क्षेत्र में दूध उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सहायक उन्नत अवसंरचना के लिए निवेश आकर्षित के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करना।

3.13 क्षेत्र में मानव संसाधनों की आवश्यकता का विश्लेषण करना और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपाए सुझाना।

3.14 अन्य कार्य जो गाय, उनकी संतति और नस्लों के विकास में सहायक हो।

4. संरचना और कार्यकाल

4.1 **अध्यक्ष** एक विशिष्ट/प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसने सरकार के विभागों में/ पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्र, गाय सुरक्षा एवं विकास या डेयरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में कार्य किया हो अथवा उच्च ख्यातिप्राप्त सामाजिक सेवक हो।

4.2 सदस्य :

4.2.1 सचिव, पशुपालन, और डेयरी विभाग – उपाध्यक्ष

4.2.2 गाय संरक्षण, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे दो संगठन/संस्थान

4.2.3 उपयुक्त क्षेत्र में कार्य कर रहे दो ख्यातिप्राप्त नागरिक

4.2.4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/डीबीटी/राज्य सरकार आदि के साथ कार्य कर रहे दो **अनुसंधान वैज्ञानिक**

4.2.5 राज्य पशुपालन विभागों के दो निर्देशक जिन्हें बारी-बारी से वार्षिक आधार पर नामित किया जाएगा।

4.2.6 पशुपालन और डेयरी विभाग से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी सदस्य सचिव होगा।

4.3 कार्यकाल: आयोग उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी निकाय होगा।

4.3.1. अध्यक्ष/गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

4.3.2. अन्य सरकारी सदस्यों का कार्यकाल जिस संस्था से वे संबंधित है उसमें उनके पद की/नामांकन की अवधि के साथ सह समाप्य आधार पर होगा।

5. बैठकें :

5.1 राष्ट्रीय कामधेनु आयेाग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

5.2 आयेाग की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्णय किए गए समय और स्थान पर समय-समय पर होगी।

5.3 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए सचिवालीय सेवाए डीएएचडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी । कोई अन्य अतिरिक्त कर्मचारी, जिनको जब भी आवश्यकता हो अध्यक्ष/ सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

6. विविध

6.1 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा और डीएएचडी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत अलग बजटीय आवंटन करेगा। स्थापना तथा अन्य मामलों पर आन्तरिक वित्त प्रभाग के साथ परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

6.2 दौरे तथा भत्ते अध्यक्ष को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता (टीए/डीए) भारत सरकार के सचिव को मिलने वाले भत्तों के अनुसार स्वीकार्य होगा और गैर सरकारी सदस्यों के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव को मिलने वाले भत्तों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार्य होगा ।

6.3 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सभी सदस्यों को एक समेकित मानदेय दिया जाएगा। सरकार पारिश्रमिक और अन्य भत्तों के संबंध में निर्णय करेगी। इनकी सरकार द्वारा समय- समय पर समीक्षा की जाएगी ।

6.4 राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की सिफारिशों की डीएएचडी के सचिवालय को अग्रेषित किया जाएगा और की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

6.5 यदि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के कार्य को करने में कोई कठिनाई आती है तो डीएएचडी कठिनाई को दूर करने हेतु ऐसी व्यवस्था करेगा।

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st February, 2019

No. 3-260/2019-AHT (RGM)/R1.—1.1 As per 2012 livestock census country has 300 million bovine population, out of this 191 million are cattle (cows) and 108.7 million buffaloes. The cattle and buffalo genetic resources is constituted by 43 breeds of cattle and 16 breeds of buffaloes. Among the bovine population 216 million are females and 84 million are males. 5.2 million cattle are abondoned as per livestock census 2012. India is the global leader in milk production with peak milk production of 176.35 MMT during 2017-18.

1.2 The Directive Principle of State Policy expressly state that, "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

Looking towards the vast potential of this sector the Government India have decided to constitute an apex advisory body ***Rashtriya Kamdhenu Aayog*** **.**

2. Objectives:

2.1 The Rashtriya Kamdhenu Aayog will be constituted for the conservation, protection and development of cows and their progeny; for proper implementation of laws with respect to prohibition of slaughter and/or cruelty to cows and for giving direction to the cattle development programmes.

2.2 The Rashtriya Kamdhenu Aayog will be a high powered permanent body to formulate policy and to provide direction to the implementation of schemes related to cattle so as to give more emphasis on livelihood generation of small and marginal farmers.

2.3 The Rashtriya Kamdhenu Aayog will provide enabling environment, develop a policy framework and shape guidelines aimed at achieving following:

2.3.1 Sustainable development and genetic upgradation of genetic resources of cows in India.

2.3.2 Conservation and development of Indigenous Breeds of cows and improved management of cows of the country.

2.3.3 Enhanced production and productivity throughout country, leading to higher farm income and better quality of life for the dairy farmers.

2.3.4 Protection and promotion of the interest of dairy cooperatives, Livestock Development Agencies, farmer producer companies and dairy industries in the country.

2.3.5 Effective implementation of laws for welfare of the cows and its progenies in the country and proper working of Gaushals, Gosadans and Pinjrapoles and other organizations/institutes for protection and development of cows and their progenies.

3. Functions

3.1 To advise and guide the Central Government and State Governments on policy matters concerning conservation, protection, development and welfare of cows and their progeny. The actual

implementation of the Scheme shall be the responsibility of the respective Central and State Governments.

3.2 To help the Central Government to develop appropriate schemes/programmes for sustainable development of cows in the country and to suggest measures for optimum economic utilization of cow wealth.

3.3 To review existing laws, policies and programmes (Centre and States) which relate to conservation, protection and development of cows and to suggest measures for their effective implementation and to work for welfare of the cow and its progeny in the country.

3.4 Promote Schemes to encourage use of organic manure and recommend suitable measures including incentive Schemes for use of dung or urine of cow in organic manure by farmers to minimize the use of Chemical fertilizers.

3.5 To effect coordination and integration among various agencies having a stake in development of Indigenous cow Breeds.

3.6 To make provisions for solutions to the problems related to abandoned cows in the country by providing technical inputs to Gaushals, Gosadans and pinjarapoles.

3.7 In the area affected by famine, drought or other natural calamities guide in setting up cattle camps for the aforesaid purposes in the affected area and to take steps to prevent migration or smuggling of cow from such affected area.

3.8 Develop pastures or grazing lands and to associate with institutions or other bodies whether private or public, for the purpose of developing pastures and Gauchars.

3.9 To create awareness about the significance of indigenous breeds of cow, its milk and allied dairy products and use of draft power.

3.10 **Research & Development:** Work in collaboration with any Veterinary, Animal Sciences or Agriculture University or departments or organizations of the Central /State Government engaged in the task of research in the field of breeding and rearing of cow, organic manure, bio-gas etc. as also to collaborate with such of the research projects of Indian system of medicine conducted by various public or private organizations for conducting research on the biogenic products of the cow for medicinal purposes.

3.11 To ensure transmission and application of improved technology and management practices at the farmers' doorstep and the entrepreneurs.

3.12 To create an enabling environment to attract investment for improving infrastructure supporting, milk production, processing, value addition and marketing in the sector

3.13 To analyze requirement of human resources in the sector and suggest measures to enhance availability of skilled manpower.

3.14 Any other function that supports development of cows, their progeny and breeds.

4. Composition & Tenure

4.1 **Chairman** shall be a person of eminence/repute who has worked at higher echelons in the Government/higher educational institution in the field of Animal Husbandry and dairy sector, cow protection & development or dairy economics or is a social worker of the highest repute.

4.2 Members:

4.2.1 Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying – Vice Chairman.

4.2.2 Two organisations/ institutions working in the field of cow conservation, protection & development

4.2.3 Two prominent citizens working in the above field.

4.2.4 Two research scientists working with ICAR/ DBT / State Government etc.

4.2.5 Two Directors of the State Animal Husbandry Departments nominated bi -annually on rotational basis.

4.2.6 Member Secretary of the level of Joint Secretary of Government of India from the Department of Animal Husbandry and Dairying .

4.3 Tenure: The Aayog will be a high powered permanent body.

4.3.1 Tenure of Chairman/non official members will be two years.

4.3.2 Tenure of other official members will be coterminus with the tenure of their post /nomination by the Institutions they represent.

5. Meetings

5.1 The Head Quarters of the Rashtriya Kamdhenu Aayog would be in Delhi and would be provided by the Government.

5.2 The Aayog will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman; at least once in a quarter.

5.3 Secretarial service to the Rashtriya Kamdhenu Aayog would be given by DAHD. Any other additional staff as may be provided to the Chairman / Members as and when required.

6. Miscellaneous

6.1 The Rashtriya Kamdhenu Aayog, would function at present as an integral part of the Rashtriya Gokul Mission and DAHD would make separate budgetary allocation under Rashtriya Gokul Mission for the day to day functioning of the Rashtriya Kamdhenu Aayog. Establishment and other matters will be decided in consultation with Internal Finance Division.

6.2 Tours and Allowances: TA/DA to the Chairman shall be admissible as per allowances entitled to Secretary Government of India and for non official members equivalent to Joint Secretary Government of India as per the laid down procedure.

6.3 A consolidated honorarium shall be paid to all the members of the Rashtriya Kamdhenu Aayog. Government shall decide upon the remuneration and other allowances. These may be reviewed by the Government from time to time.

6.4 The recommendations of the Rashtriya Kamdhenu Aayog Aayog shall be forwarded by the Secretariat to DAHD and Action Taken Report shall be presented before the Aayog.

6.5 lf any difficulty arises in giving effect to the work of the Rashtriya Kamdhenu Aayog, DAHD will make such provisions for removing the difficulty.

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.13 14:36:32 +05'30'